राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2458/2023

श्याम लाल सांवरिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, (कार्मिक–1) वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, विधानसभा क्षेत्र सांगानेर, जयपुर।
5. राजेश कुमार मीणा, सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सांगानेर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.09.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी सहायक लेखा अधिकारी प्रथम के पद पर कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सांगानेर के पद पर कार्यरत है। इस अपील में अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश दिनांक 20.09.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर के पद पर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक 20.09.2023 को अपीलार्थी को विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में विधानसभा आम चुनाव 2023 के दृष्टिगत चुनाव से सम्बन्धित कार्य के लिये चुनाव व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में रखा गया था और उक्त आदेश में चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्यवाही किये जाने का भी निर्देश है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि जब अपीलार्थी को चुनाव का कार्य आवंटित हो चुका है तो इसके पश्चात अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने पर अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। अपीलार्थी को चुनाव कार्य से अलग कर दिया है, जिससे आदेश दिनांक 12.09.2023 का उल्लघंन होगा। उनका

`

यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्त 8 माह बाद होने जा रही है, ऐसे में अपीलार्थी का सेवानिवृत्ति से पूर्व स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रत्यर्थी विभाग की ओर से परिपत्र दिनांक 08.03.2023 जारी किया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि साधारणतया चार वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण नहीं किया जाए।

3. इस प्रकरण में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि स्थानांतरण आदेश सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है। अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में किसी भी नियम एवं प्रावधानों की अवहेलना नही की गई है। इस प्रकार स्थानांतरण आदेश दिनांक 20.9.2023 सक्षम अधिकारी ने नियमानुसार ही प्रशासनिक दृष्टि से जारी किया गया है। स्थानांतरण आदेश दिनांक 20.9.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर से जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर में किया गया है। उक्त दोनों स्थानों के बिच की दूरी करीब 8 किलोमीटर है और अपीलार्थी का स्थांनातरण जयपुर में ही किया गया है। इस प्रकार स्थानांतरण आदेश दिनांक 20.09.2023 से अपीलार्थी के मुख्यालय में भी परिवर्तन नही किया गया है। इससे अपीलार्थी के सेवानिवृत्ति नजदीक स्थानांतरण किये जाने से उसकी सेवा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा। अपीलार्थी को चुनाव व्यय अनुवीक्षण के प्रकोष्ठ में पांच कार्मिकों को रखा गया है। अपीलार्थी चुनाव शाखा में लगी डयूटी आर.ओ./ए.आर.ओ स्तर ही नही है। अपीलार्थी के आदेश में ऐसा कहीं भी वर्णित नही किया गया है और न ही ऐसी कोई नीति और आदेश है, जिसके कारण अपीलार्थी का स्थानांतरण नही किया जा सकें।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

5. अपीलार्थी को जो चुनाव ड्यूटी आदेश दिनांक 12.09.2023 के द्वारा लगाया गया है, वह अपीलार्थी को पंचायत समिति, सांगानेर में पदस्थापन होने के कारण लगाया गया था, जो ड्यूटी चुनाव व्यय अनुवीक्षण से सम्बन्धित कार्य के लिये है। अपीलार्थी को चुनाव का कार्य उसके पंचायत समिति, सांगानेर में पदस्थापन होने के कारण दिया गया था। अब अपीलार्थी के स्थान पर अन्य सहायक लेखा अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया है। अतः चुनाव का कार्य अपीलार्थी के स्थान पर आने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। इस आधार पर स्थानान्तरण आदेश गलत नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी को चुनाव व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में रखा गया था। जहां तक अपीलार्थी की सेवानिवृति का प्रश्न है इस सम्बन्ध में हमारा मत है कि अपीलार्थी को जयपुर शहर में ही पदस्थापित रखा गया है। ऐसे में अपीलार्थी

को सेवानिवृति के समय कोई असुविधा होना प्रकट नहीं होता है। जहां तक 4 वर्ष से पूर्व स्थानांतरण किये जाने के संबंध में अपीलार्थी का तर्क है तो इस संबंध में हमारे मत में अपीलार्थी द्वारा बताये गये परिपत्र दिनांक 08.03.2017 में सामान्य स्थिति में 4 वर्ष से पूर्व स्थानांतरण नहीं किये जाने का प्रावधान है एवं उक्त परिपत्र में यह भी प्रावधान है कि विशिष्ट परिस्थितियों में 4 वर्ष से पूर्व स्थानांतरण किया जा सकता है। वर्तमान स्थानांतरण राज्यहित में जारी किया गया है। ऐसे में हम स्थानांतरण आदेश में कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)